

## प्रारूप-2

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं

दुर्भाग एवं फैसलनम्- 01592 - 235475 / 235474 E-mail Id :- [deoceiljn@gmail.com](mailto:deoceiljn@gmail.com)

कमाक.-जिशिअ/पार/झुं/मान्यता/2012/ 568

दिनांक:- 30.10.11

प्रबन्धक

नैरेन्द्र (डेउमी, सुभान)

विषय - नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के ता नियम (4) के अधीन महोदय / महोदय।

आपके दिनांक:- 19.10.11

पश्चात्यार्थ / विशेषज्ञ के प्रतिनिर्देश से मैं, 1/4/10 से 31/3/12 तक तीन बैष की अवधि के लिए कक्षा 8 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं -

- 1 मान्यता की सजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विषय से नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपायम् 1) और नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपायम् 2) के उपरान्धों का पालन करेगा।
- 3 विषय का उत्तराधीन तो उत्तराधीन को सरकार ने 25 प्रतिशत तक आज्ञा-नियम के कमज़ोर दर्दों और अलग पद समूह के बालकों को प्रयोग प्रदान करेगा और उन्हें नि शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपरान्ध में जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 से निर्देश बालकों के लिए विषय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपरान्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विषय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी / विषय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरकार को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विषय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें दिनें एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरर्थता आहा गया है।
- 7 विषय सुनिश्चित करेगा कि -
  - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विषय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। या उसे विषय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बालकों शारीरिक दण्ड या मानसिक उन्हींने के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
  - (iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वी अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपरान्धों के अनुसार निश्चितता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच बैष की अवधि के भीतर एसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
  - (viii) अध्यापक रवय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करें।

de

- 8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाद्य घर्षों के आधार पर पाद्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकाधित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियनों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं—
- कुल निर्मित क्रम  
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल  
कक्षा कमरों की संख्या  
प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष  
बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय  
पेयजल सुविधा  
मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई  
बाधा रहित पहुंच  
अध्यापक पदन सामग्री/कीड़ा खेलकुद उक्स्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं घलाई जायेगी।
- 12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
- 14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समुह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
- 15 विधालय के लेखाओं के घार्टड अकाउन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति अपाकृति वर्ष संख्या अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।
- 16 आपके विधालय को आविटित मान्यता कोड संख्याक 568... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 19 सलान उपाबध—111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.C. 2009 के साल की पापदमो की आवश्यकता भवदीय,

भवदीय,

21) आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू